



Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला—टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



F.No.6(173)SP/2008/P-I/

Dated 14-06-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन सभी प्रकार के बागवानी से संबंधित कार्य का अनुबंध at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501. Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No.6(173)SP/2008/P-I/
Date and Time for issue/Publishing	14-06-2018 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	15-06-2018 at 3.00 PM
Pre Bid Meeting	18-06-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	19-06-2018 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	05-07-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	06-07-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money Rs.12000.00 Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. Bids shall be submitted online only at CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.
2. Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the Central Public Procurement Portal for e-procurement at <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 500/- (Rupees Five Hundred only) in favour of “**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**”, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 12,000/- (Rupees Twelve Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of “**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**”. The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of the contract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date / time of Bid Submission.**
 - a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
 - b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
 - c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
 - d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
 - e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.
11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
 1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
 2. Scanned copy of Pan card
 3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
 4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
 5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee & E.M.D.
 6. Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)
 7. Tender acceptance letter (Annexure I)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer (S&P)

Chapter II- Scope of Work

संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के कार्य का विवरण निम्नानुसार है:

1. **नर्सरी क्षेत्र की देखरेख एवं सुरक्षा कार्य** – में लगे पौधो तथा ग्रीन हाउस में घमलो वाले पौधों की देखरेख, ग्रीन हाउस की रिपेयरिंग अथवा नया ग्रीन हाउस बनाना (मेटेरियल संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा) बेड़ बनाने, कलमे लगाने इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं किटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना, सुरक्षा कार्य तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं।
2. **सामुदायिक भवन** – पर लगे पौधो हैज, लॉन की कटिंग का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं।
3. **चिल्डत्तपार्क** – पर लगे पौधो हैज, लॉन की कटिंग का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं।
4. **अरविन्दराय उद्यान, रोज गार्डन, अतिथिगृह, सभागार एवं पी0जी0_हॉस्टल** – पर लगे पौधो हैज, लॉन की कटिंग का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं किटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं।
5. **टेक्टर डब्ब्वर का कार्य करना** – पूरे वर्ा भर टेक्टर द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले कार्य जैसे – पानी के टेंकर द्वारा पौधो को पानी पिलाना, मिट्टी डालने का कार्य, आंधी तूफान में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाना, हैरो, स्ेपर से लेण्डस्केपिंग कार्य करना तथा टेक्टर द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य। टेक्टर से सम्बन्धित कार्य के अलावा अनुभाग में अन्य उद्यानिकी कार्य भी करवाये जा सकते है।
6. **संस्थान के ए0जी0 एण्ड बी विभाग/पुस्तकालय भवन के सामने लगे लॉन, हैज** – कटिंग का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं। संस्थान में संचालित बूंद बूंद तथा स्प्रोकलर सिचाई पद्धति की देखरेख तथा चालू कर सिचाई करवारना एवं बन्द करना का कार्य।
7. **एन0पी0बी0 भवन के सामने यूफॉरबिया, हैज, लॉन के पौधो** – की कटिंग का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं।
8. **नया लॉन/पार्क विकसित करना** – संस्थान में आवश्यकतानुसार निदेशक महोदय के आदेशानुसार नया लॉन/पार्क/बगीचा विकसित करने के लिए ले आउट तैयार करना, क्यारिया बनाना, ईट लगाकर नाली बनाना, लोन लगाना, फूल वाले पौधे लगाना तथा हैज लगाने आदि कार्यों के साथ – साथ विकसित किये गये लोन/पार्क की सभी प्रकार की देखरेख, पानी पिलाना, कटिंग करना, साफ – सफाई तथा अन्य सम्बन्धित कार्य अन्य पार्को की तरह होगा जिसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. **संस्थान में आयोजित होने वाले कार्य मों जैसे** – भेड़ मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, VIP Visit, स्वन्त्रता दिवस, गणत्रंता दिवस पर सडक के किनारे झण्डे लगाना, हटाना, गमले रखना उठाना पार्किंग स्थल पर चुना डालना पेड़ों की पुताई करना, केन्द्रीय विद्यालय के खेल मैदान की सफाई मैन गेट, एटिक सेन्टर प्राथमिक विद्यालय, उद्यान अनुभाग के आस पास के क्षेत्र की सफाई कार्य तथा मैन गेट से अतिथिगृह चौराहा, प्राासनिक भवन व टी0एम0टी0सी0 विभाग व ओडिटोरियम तक सडक के दोनो ओर समारोह से पूर्व सफाई करना, थांवले बनाना, चुना डालना, ओडिटोरियम के आस पास की साफ सफाई व सजावट तथा अन्य समाहरों से सम्बन्धित कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में एक वर्ष में 05 समारोह होना संभावित है।
10. **हरे बडे वृक्षो की पुर्निग / हैवी लुपिंग/कटाई** – छटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाने का कार्य।
11. **संस्थान के परिसर आवासीय तथा कार्यालय भवनो** – कि हैज, लॉन, अशोक के पेडो कि कटिंग का कार्य तथा रोड़ के किनारे लगे पौधो जैसे – कनेर, बोगनविलिया, चान्दनी की कटिंग का कार्य एवं इन सभी की देख रेख, पानी पिलाना, थांवले बनाना, खरपतवार निकालना, पूर्निगं किटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना खाद डालना तथा अन्य सम्बन्धित शस्य ि याएं करने का कार्य।
12. **वर्षा ऋतु में संस्थान की सडकों, कार्यालय भवनों के आस – पास खरपतवारों सफाई का कार्य।**

कार्यों का विस्तृत विवरण:

- **हैज कटिंग, अ गोक कटिंग, रोड साईड के पौधो की कटिंग व लॉन की कटिंग** : संस्थान के सभी कार्यालयों भवनों अतिथिगृह, सामुदायिक भवन, ओडिटोरियम के सामने पी0जी0 हॉस्टल, सभी पार्को, प्राासनिक भवन के सामने, सुरक्षा अनुभाग, कच्चा बन्धो पर स्थित सभी के कार्यालयों, विद्युत अनुभाग, उद्यान अनुभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, पशु पोषण विभाग के सामने, चिल्डत्तपार्क, मानवीय चिकित्सालय, मनोरजन क्लब के सामने आदि की हैज लोन अ गोक तथा अन्य फूल वाले

पौधों की कटिंग 15 दिन में एक बार करनी होगी। आवासीय भवनों की हैज लोन अ गोक तथा अन्य फूल वाले वाले पौधों की कटिंग प्रतिमाह करनी होगी। कटिंग से होने वाले कचरे को उठाकर यथास्थान पर डालने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा कटिंग से सम्बन्धित औजार भी अनुबन्धकर्ता के होंगे।

- **पार्को एवं सभी सडकों के किनारे लगे पौधों की देखरेख व सुरक्षा कार्य** :संस्थान के सभी पार्को में जैसे : अरविन्दराय पार्क, रोज गार्डन, उद्यान अनुभाग, अतिथिगृह के सामने, सामुदायिक भवन, चिल्ड्रन पार्क, प्रासासनिक भवन के सामने वाले पट्टियां नव निर्मित पार्क एवं पशु शरीरिया भवन के सामने नवनिर्मित पार्क आदि में पानी पिलाना, निराई-गुडाई, खाद डालना क्यारियां बनाना, पौधे लगाना, कीटनाकों का छिडकाव करना, कटाई छटाई, थांवले बनाना आदि कार्य के साथ में पार्को में किसी भी हाडेन्ट/नलों में पानी की अनुपलब्धता होने पर स्वयं अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित सम्पदा अनुभाग में जाकर िकायत दर्ज करनी होगी आव यकता पड़ने पर तालाब से काली मिट्टी लाने एवं समतल करने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा **सभी पार्को की सुरक्षा** एवं फेसिंग मरम्मत का कार्य करना होगा सामुदायिक भवन के सामने नवनिर्मित पार्क एवं अरविन्दराय पार्क, अतिथिगृह, पशु शरीरिया भवन के सामने नवनिर्मित पार्क में भी कार्य करना होगा। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर सभी कार्य अनुबन्धकर्ता को करना होगा। गमले रखना, पार्किंग करना, सभागार की सजावट, बुके बनाना, झण्डे लगाना तथा आस – पास की साफ सफाई व पेडों की पुताई का कार्य करना।

सभी सडकों के दोनों किनारों में लगे पौधों की पानी पिलाना निराई गुडाई, खाद डालना क्यारियां बनाना, पौधे लगाना कीटनाकों का छिडकाव करना कटाई छटाई, थांवले बनाना, कोई भी पौधा मरने पर गैपफिलिंग करना आदि कार्य साथ ही सभी पार्को व नर्सरी क्षेत्र तथा सडके के किनारे लगे पौधों में हाडेन्ट /नलों व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की देखरेख तथा पानी पिलाने का कार्य करना होगा व ब्लॉक-8 में स्थित ई टी ओ/टयूबवैल को स्वयं अनुबन्धकर्ता द्वारा चलाकर सैक्टर नं0 12 की टंकी को नियमित रूप से प्रतिदिन भरनी होगी। संस्थान के मुख्य द्वार से सभी सडकों के दोनों साईड के टेंकर से अथवा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पानी पिलाना होगा साथ ही बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की देखरेख सुरक्षा व साफ सफाई तथा खोलना व चालू करना नियमित रूप से करना होगा। पौधों को पानी पिलाने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की लापरवाही होने अथवा पौधों के सुखने पर अनुबन्धकर्ता के बिल में से कटौती कर ली जायेगी व अनुभाग द्वारा खरीदे जाने वाले पौधों, गमलों व अन्य सामग्री को वाहन से उतारने व चढाने की जिम्मेदारी तथा बुके बनाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी कटिंग से सम्बन्धित औजार भी अनुबन्धकर्ता के होंगे।

- **संस्थान में आयोजित होने वाले कार्य मों जैसे** – भेड मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, स्वन्त्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस पर सडक के किनारे झण्डे लगाना, हटाना, गमले रखना उठाना पार्किंग स्थल पर चुना डालना पेडों की पुताई करना, केन्द्रीय विद्यालय के खेल मैदान की सफाई मैन गेट, एटिक सेन्टर प्राथमिक विद्यालय, उद्यान अनुभाग के आस पास के क्षेत्र की सफाई कार्य तथा मैन गेट से अतिथिगृह चौराहा, प्रासासनिक भवन व टी0एम0टी0सी0 विभाग व ओडिटोरियम तक सडक के दोनों ओर समारोह से पूर्व सफाई करना, थांवले बनाना, चुना डालना, ओडिटोरियम के आस पास की साफ सफाई व सजावट तथा अन्य समाहरों से सम्बन्धित कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होंगे।
- **नर्सरी क्षेत्र की देखरेख व सुरक्षा कार्य**: नर्सरी क्षेत्र में फेसिंग के अन्दर का सम्पूर्ण कार्य व फेसिंग मरम्मत का कार्य, क्षेत्र की सुरक्षा सभी प्रकार के वृक्षों, फूल वाले पौधों, ग्रीन हाउस की देखरेख एवं सुरक्षा अनुबन्धकर्ता की होगी ग्रीन हाउस की मरम्मत का कार्य, साफ – सफाई, गमलों की देखरेख, पानी पिलाना पुताई करना, खाद डालना, निराई गुडाई करना तथा कीटनाकों का प्रयोग करना, फूल वाले पौधों की अनुबन्ध की अवधि प्रतिवर्ष मे 5000 कलमें/बीजों द्वारा पौधे प्रभारी उद्यान अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार तैयार करने होंगे,इसमें थैलियां भरना, बेड तैयार करना, पानी पिलाना, साफ –सफाई, खाद डालना निराई गुडाई करना तथा कीटनाकों का प्रयोग करने होंगे। नर्सरी क्षेत्र में लगे सभी प्रकार के फल वाले पौधों की सभी प्रकार की उद्यानिकी एवं शस्यियाएं समय – समय पर करनी होगी। सम्पूर्ण नर्सरी क्षेत्र की साफ सफाई प्रति सप्ताह करनी होगी। नर्सरी क्षेत्र, पार्को तथा अन्य स्थानों से फूल वाले पौधों के बीजों को एकत्रित करने का कार्य अनुबन्धकर्ता को करना होगा। नर्सरी तथा पार्को से किसी भी प्रकार का पौधों/फूल प्रभारी उद्यान अनुभाग/प्रतिनिधि की अनुमति के बिना नहीं दिया जाये।
- **उद्यान अनुभाग में टैक्टर से सम्बन्धित किये जाने वाले सभी कार्य जैसे** – टेंकर द्वारा सडक के किनारे लगे तथा संस्थान परिसर में लगे अन्य पौधों को पानी पिलाने का कार्य, हैरो कल्टीवेटर, लैवलर, तथा अन्य टैक्टर से सम्बन्धित कार्य आव यकता पड़ने पर करने होंगे टैक्टर की देखरेख, ऑयल, कुलिंग, डीजल समय समय पर संस्थान की कार्य शाला से डलाना होगा लोग बुक को प्रतिदिन भरने का कार्य करना होगा। टैक्टर डर्झवर का डर्झविंग लाईसेंस की प्रति/फोटोकॉपी उद्यान अनुभाग एवं य अनुभाग में जमा करानी होगी जिस दिन टैक्टर से सम्बन्धित कार्य नहीं होगा डर्झवर को प्रभारी उद्यान अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये गये अनुभाग से सम्बन्धित अन्य उद्यानिकी कार्य भी करने होंगे। टैक्टर पिन्चर होने पर टैक्टर डर्झवर को वाहन अनुभाग/वर्क शोप में जाकर शीघ्र पिन्चर निकलवाना होगा ताकि कार्य प्रभावित ना हो यदि संस्थान के वर्क शोप में पिन्चर निकालना सम्भव नहीं होने कि स्थिति में संस्थान के बाहर प्रभारी/प्रतिनिधि उद्यान अनुभाग की अनुमति से पिन्चर निकलवाया जा सकता है। ताकि संस्थान का कार्य प्रभावित ना हो।

- **हरे बड़े वृक्षों की पुर्निग / हैवी लूपिंग / कटाई** – छटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाना संस्थान परिसर में सभी कार्यालय भवनों के आस – पास तथा आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी प्रकार की जनहानि हो सकती है इससे बचने के लिए हरे बड़े वृक्षों की पुर्निग/हैवी लूपिंग / कटाई – छटाई कार्य करना तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों तथा सड़क अवरूध करने वाले सूखे वृक्षों को हटाकर प्रभारी उद्यान अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार टैक्टर ट्रेली द्वारा बताये गये स्थान पर मोटी लकड़ी तथा झासड़ी को अलग – अलग स्थान पर डालने से सम्बन्धित कार्य करना होगा इसमें लगने वाले श्रमिक तथा औजार स्वयं अनुबन्धकर्ता के होंगे संस्थान के द्वारा केवल टैक्टर ट्रेली उपलब्ध करवाई जायेगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी बड़े वृक्षों की पुर्निग/हैवी लूपिंग/कटाई – छटाई कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी/आवासीय कोलोनी के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर करवाना होगा। आवासीय भवन/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
- **वर्षा ऋतु में सड़कों, कार्यालय भवनों के आस – पास खरपतवारों सफाई का कार्य** : संस्थान के मुख्य द्वार से अतिथिगृह चौराह से कच्चा बन्धा, पशु स्वास्थ्य विभाग, टी0एम0टी0सी0 के चारों ओर 10 फीट, कैन्टीन क्षेत्र, विद्युत अनुभाग, ियरिंग शैड, पी0जी0 हॉस्टल के अन्दर बाहर, ओडिटोरियम के चारों तरफ, अतिथिगृह के चारों तरफ, अरविन्दराय गार्डन के चारों ओर , रोज गार्डन के चारों ओर, प्रासनिक भवन के चारों ओर, पशु शरीर िया के चारों ओर व सामने का बगीचा, ए0जी0 एण्ड बी0 बिल्डिंग के चारों ओर व सामने का बगीचे के अन्दर बाहर तथा चार दीवारी के अन्दर के सम्पूर्ण क्षेत्र, अतिथिगृह चौराह से 09 नम्बर की पुलिया तक सड़क के दोनों ओर दीवार/फ़ैसिंग तक कि सफाई, झांसी ऑफिस तिराहे से आवासीय क्षेत्र में सभी क्वाटरों सिंगल स्टोरी व डबल स्टोरी, सामुदायिक भवन, सभी पार्को, खेल मैदान, क्लब के चारों ओर सभी आवासीय कोलोनी के बीच के मैदान, सभी सड़कों के दोनों तरफ की दीवार/फ़ैसिंग तक जहां पर दीवार/फ़ैसिंग नहीं है वहां सड़क के 15 फीट तक की सफाई कार्य तथा सभी प्रकार के आवासीय भवनो के बीच में खाली जगहों/गलियों की खरपतवार, पेड़ों की डालियों दिवारों पर चढ़ी हुई बेले तथा अन्य लकड़ियों डालियों सभी को फावड़े, खुरपियों, कुलाड़ी से सफाई का प्रथम कार्य माह अगस्त व द्वितीय सफाई कार्य दिपावली से पूर्व (अक्टूबर/नवम्बर) में अलग – अलग प्रभारी उद्यान अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।

कटौतियां:

1. उपरोक्त सारणी में द ायें गये कार्यों को आंिक तौर पर पूर्ण नहीं करने पर आनुपातिक कटौती की जा सकती है ।

अनुबन्ध कार्य की नियम व ातें:

1. निविदादाता निविदा भरने से पूर्व इस अनुबन्ध में दिये गये स्थान/प्रक्षेत्र पर कराये जाने वाले सभी कार्यों को कार्यालय समय में आकर प्रभारी, उद्यान अनुभाग से कार्य की पूर्ण जानकारी लेने के प चात् ही निविदा भरें। कार्य एवं क्षेत्र की जानकारी दूरभाष नं. 01437-220154 पर भी ली जा सकती है।
2. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदे ा एवं सं गेधन लागू होंगे।
3. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।
4. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
5. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
6. सफल ठेकेदार स्वयं की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदे ा प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वयं रोजाना प्रभारी, उद्यान से सम्पर्क करेंगे तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दि ा-निर्देशानुसार सुचारू-रूप से करते रहेंगे ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राि को भी जब्त किया जा सकता है।
7. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ िष्टता का व्यवहार करना होगा।
8. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

9. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T./Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्ज राशि की भी कटौती की जावेगी।
10. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
11. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर उद्यान अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान-पत्र) आवयक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
12. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवयक करवा लें।
13. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
14. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माफ़ने पर प्रस्तुत करना होगा।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊँट अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
16. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
17. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
18. सफल ठेकेदार को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप य अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of security personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 100/-** along with the **Security Deposit @5% of contract value** in form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.

7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-55 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. **PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE:** Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency on account of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of HOD Animal Nutrition Division, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserve the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.

22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or it's worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/incharge sector on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Administrative Officer (S&P)

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

मांक: F.No.6(173)SP/2008/P-I/

दिनांक: 14.06.2018

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को वार्षिक अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने बाबत

सं.	कार्य का विवरण	उद्यानिकी कार्यों का लगभग क्षेत्रफल	दर प्रति इकाई
1-	संस्थान परिसर के आवासीय क्षेत्र, नर्सरी क्षेत्र, सामुदायिक भवन, चिल्ड्रनपार्क, अरविन्दराय उद्यान, रोज गार्डन, अतिथिगृह, सभागार एवं पी0जी0 हॉस्टल, ए0जी0 एण्ड बी, पुस्तकालय, एन0पी0बी0 भवन इत्यादि के सामने के लोनों में हैज, लोन, फूल वाले पौधों की देखरेख इत्यादि का कार्य	दर प्रतिमाह
2-	नया लॉन/पार्क विकसित करना	-----	दर प्रति वर्गमीटर
3-	संस्थान में आयोजित होने वाले कार्य मों जैसे – भेड मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, VIP Visit स्वन्त्रता दिवस, गणत्रंता दिवस पर पर किये जाने वाले कार्य	एक वर्ष में लगभग 05 समारोह	दर प्रति समारोह
4-	हरे बडे वृक्षों की पुर्निग / हैवी लुपिंग/कटाई – छंटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाने का कार्य।	300 पेड लगभग	दर प्रति पेड/वृक्ष
5-	वर्षा ऋतु में संस्थान में सडकों, कार्यालय भवनों के आस – पास खरपतवारों सफाई का कार्य (1) प्रथम सफाई : अगस्त माह (2) द्वितीय सफाई : अक्टूबर/नवम्बर माह	प्रथम सफाई द्वितीय सफाई	दर प्रति सफाई ----- -----

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दायी गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दायी गई दरों पर संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन सभी प्रकार के बागवानी से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के म में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ कि मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त दायी गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, उद्यान अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

मांक: **F.No.6(173)SP/2008/P-I/**

दिनांक:14.06.2018

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के उद्यान अनुभाग के अधीन बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध की दर सभी करों एवं खर्चों सहित निम्नानुसार है—

. सं.	कार्य का विवरण	उद्यानिकी कार्यों का लगभग क्षेत्रफल	दर प्रति इकाई	कुल दर सभी करों एवं खर्चों सहित (अंको व शब्दों में)
1-	संस्थान परिसर के आवासीय क्षेत्र, नर्सरी क्षेत्र, सामुदायिक भवन, चिल्ड्रनपार्क, अरविन्दराय उद्यान, रोज गार्डन, अतिथिगृह, सभागार एवं पी0जी0 हॉस्टल, ए0जी0 एण्ड बी, पुस्तकालय,एन0पी0बी0 भवन इत्यादि के सामने के लोनों में हैज, लोन, फूल वाले पौधों की देखरेख इत्यादि का कार्य	दर प्रतिमाह	Rs.....
2-	नया लॉन/पार्क विकसित करना	5000 वर्गमीटर अनुमानित	दर प्रति वर्गमीटर	Rs.....
3-	संस्थान में आयोजित होने वाले कार्य मों जैसे – भेड मेला, संस्थान स्थापना दिवस, सेमिनार, VIP Visit स्वन्त्रता दिवस, गणत्रंता दिवस पर पर किये जाने वाले कार्य	एक वर्ष में लगभग 05 समारोह	दर प्रति समारोह	Rs.....
4-	हरे बडे वृक्षो की पुर्निंग /हैवी लुपिंग/कटाई – छटाई तथा तूफान या अंधड़ में गिरने वाले सूखे पेड़ों को हटाने का कार्य।	300 पेड लगभग	दर प्रति पेड/वृक्ष	Rs.....
5-	वर्षा ऋतु में संस्थान में सडकों, कार्यालय भवनों के आस – पास खरपतवारों सफाई का कार्य (1) प्रथम सफाई : अगस्त माह (2) द्वितीय सफाई : अक्टूबर/नवम्बर माह	प्रथम सफाई द्वितीय सफाई	दर प्रति सफाई	Rs..... Rs.....

नोट : अनुबन्ध सारणी म संख्या 1 से 5 में द ाये गये कार्या हेतु ओवरआल न्यूनतम दर दाता को दिया जावेगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

DRAFT SPECIMEN AGREEMENT

This agreement is made at(place)..... on(month/year) day of between..... (Institute)..... (hereinafter called Institute) through(designation of the competent authority in the Inst.)which term shall include its successors, assignees etc. on the first part and(name & address of the firm)....., (hereinafter called the Firm) which term shall include its authorized representatives, successor, assignees etc. on the other part.

Whereas the(Institute)..... has decided to assign the annual job work contract for providing(nature of job) :..... at..... (Name of the Inst.)....., (location). to the firm on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY AGREED by and between the parties hereto as follows:

1. This agreement shall come into force w.e.f.(date)..... and will remain in force for a period for one year but can be terminated by (name of the Instts.)..... by giving one calendar month's notice in writing of its intentions to terminate the Agreement. The Agreement can be renewed, on mutually agreed terms.
2. The firm shall be responsible for annual job work contract for providing (nature of job)..... at (location) .
3. The firm will provide full particulars of every worker deployed by it for providing the services and gate security purposes and get their character and antecedents verified from the Police Authorities.
4. All personnel posted at premises shall all times and for all purpose be deemed to be employee of the firm and the..... (name of the Inst.)shall have no liability on this account in any manner.
5. That the Firm shall ensure that all persons deployed at..... (name of the Inst.)..... premises are of good character, well behaved and otherwise competent and qualified to perform the work for which they are deployed.
6. The..... (name of the Inst.)shall have the right to ask for the removal from the(name of the Inst.)premises any personnel considered by the..... (name of the Inst.)to be incompetent, disorderly or any other reason and such person shall not again be deployed without the consent of the..... (name of the Inst.)
7. The manpower deployed by the Agency should work as per the working days and timings of the(name of the Inst.)..... . No extra wages will be paid for attending office on weekends, holidays and late-sitting.
8. Monthly consolidated charges for job/ work contract for providing services at(name of the Inst.)..... is as per terms and conditions specified and scope of work as per Schedule-I in the tender document including all the taxes viz. Service tax and other taxes as applicable will be paid to the firm by the Council. The firm will raise a bill of this amount on 1st working day of every month and the payment released by the Council in the form of crossed cheque payment to the firm subject to satisfactory performance / delivery of contracted job / work/ services. Copies of documents such as deposit challan alongwith list of persons showing deposit of ESIC, EPF with the concerned agencies are also to be deposited with the bill.
9. The deduction of income tax from the bills of the Agency will be made at source as per rates applicable from time to time.
10. In case of dispute between the parties, the matter shall be referred to the sole Arbitrator appointed by the(name of the Inst.)..... . The decision of the sole arbitrator shall be final and binding in any respect of any dispute between the parties.

11. That the Firm shall issue uniforms to all their employees engaged, which they shall wear while on duty (optional).
12. That the firm shall issue identity card to each of the workers engaged for entry into..... (name of the Inst.)..... premises.
13. That the Firm shall ensure the successful implementation of the terms and conditions of the agreement by proper control and supervision of the work.
14. That in case the Firm fails to perform any of the terms and conditions of this agreement or commits any breach of the contract, the..... (name of the Inst.) may cancel the contract.
15. That the Firm agrees to discharge all their legal obligations in respect of their workers in respect of their wages and services conditions and shall be deployed without the consent of the(name of the Inst.) also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time, viz. Obligations under Contract labour (Regulation & Abolition) Act. 1970, workmen's Compensation Act, 1943, E.P.F., E.S.I. & M.P. Act, 1947 etc. Firm agrees to indemnify and keep indemnified(name of the Inst.) on account of any failure to comply with the obligations under various laws or damage to..... (name of the Inst.)..... due to acts/omissions of Firm.
16. It is also agreed that under no circumstances, the volunteers and/ or the employees/ workmen of the Firm shall be treated, regarded or considered or deemed to be the employees of the(name of the Inst.)..... and the Firm alone shall be responsible for their remuneration, wages and other benefits etc. Firm shall indemnify and keep indemnified the (name of the Inst.)..... against any claim that it may have to meet towards the employees/ workmen of the Firm. Firm's employees/ workmen shall have no claim to absorption/ regularization and financial benefits etc. that are admissible to regular employees in the office of (name of the Inst.).
17. The contract is subject to the conditions that the firm shall comply with all the laws and by laws of Central Govt. State Govt. / NCT of Delhi as applicable relating to this contract.
18. In case of any loss or damage to the property of the Council at which is attributable to the firm, the full damages will be recovered from the firm.
19. The Firm shall not transfer its right or sub- contract to anyone else.
20. The Firm or its workers shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
21. The Firm shall devote its full attention in service to ensure highest quality in all aspects and discharge its obligations under the" contract with trust. diligently and honestly.
22. In case of any accident/loss of life of the workers during discharging duties compensation to be given to the workers, the same shall be borne by the Firm.
23. There will be surprise checking by an Officer. Shortcomings, if any. pointed out by him shall be restored by the contractor within 24 hours of its bringing to his notice.
24. The firm shall provide a Co-ordinator for immediate interaction with the organisation.
25. The terms and conditions as stipulated in the tender documents and enclosed herewith, shall be part of the agreement.

PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE

1. An amount of Rs. 500/- will be levied as liquidated damages per day. whenever and wherever it is found that the work is not up to the mark in any Section. It will be brought to the notice of the supervisory staff of the firm by(Name of the Institute)and if no action is taken within one hour liquidated damages clauses will be invoked.
2. Any misconduct/ misbehaviour on the part of the manpower deployed by the agency will not be tolerated and such persons will have to be replaced immediately.
3. If the required number of workers/supervisor are less than the minimum required as a penalty of Rs. 500/- per worker per day will be deducted from the bill.

The decision of(competent authority in the Inst.)..... . shall be final and binding on the contractor/agency in respect of any clause covered under the contract and any matter incidental to the contract.

IN WITNESS whereof the parties have executed those present on the day, month and year as mentioned above.

(Name & Address of the firm)

(For the Institute)

Witness:-

- 1.
- 2.